न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर(हनुमानगढ)

(पीठासीन अधिकारी श्री नारायण सिंह चारण आर0ए0एस)

प्रकरण संख्या 07/2016 दिनांक : 14.12.2016

1. श्यामलाल पुत्र श्री मोमनराम जाति जाट निवासी चिडियागांधी तह. भादरा जिला हनुमानगढ।

– प्रार्थी

बनाम्

1. होशियार सिंह पुत्र श्री धृष्टदुमन जाति यादव साकिन भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र शिकायत विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 16.12.2004 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा अन्तर्गत धारा 11/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितः– श्री हवासिंह, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
श्री विजयसिंह कडवासरा, अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः– 30-01-2020

प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 16.12.2004 आवंटन आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि–

1. चक नं. 1 बीएचडी तहसील भादरा के मु.न. 1 किला नं. 24/0.126 है0 किला नं. 21/.101 मु.न. 12 किला नं. 1/.202 किला नं. 2/.101 किला नं. 3/.026 कुल तादादी 0.556 हैक्टयर भूमि आराजीराज थी। उक्त भूमि को अप्रार्थी सं. 1 ने दिनांक 16.12.2004 को आवंटन करवा ली उक्त आवंटन बिना कोई जांच किये

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

बिना निर्धारित प्रक्रिया अपनाए व अप्रार्थी सं. 1 ने तथ्य छुपाकर करवाया है जो काबिल खारिजी के है नकल फोटो कॉपी आवंटन आदेश सलंग्न प्रार्थना पत्र है।

2. अप्रार्थी होशियार सिंह ने आवंटन प्रार्थना पत्र में स्वयं को काश्तकार होना बताते हुए भूमि आवंटन करवाई है जबकि अप्रार्थी का व्यवसाय कृषि न होकर दुकानदारी है।

3. अप्रार्थी ने अपने व अपने परिवार की भूमि के धारण का कोई अंकन आवंटन प्रार्थना पत्र में नही किया है जबकि अप्रार्थी के पिता के धारण में चक नं. 1 एमएसआर में 50 बीघा व चक नं. 1 बीएचड़ी में 30 बीघा गांव तारकावाली तहसील सिरसा में 15 बीघा व तहसील अनुपगढ में प्रार्थी व उसके परिवार (भाईयों) के नाम से 50 बीघा भूमि है उक्त भूमि का कोई अंकन अपने प्रार्थना पत्र में नही किया है व आवंटन अधिकारी के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत करके अपने व अपने परिवार के धारण की भूमि छुपाकर आवंटन करवाया गया होने के कारण आवंटन आदेश काबिल खारिजी के है।

4. आवंटन आदेश दिनांक 16.12.2004 में वर्णित भूमि 0.556 हैक्टयर भाखडा कोलोनी की बाउण्ड्री में स्थित है जिसमें भाखडा उपनिवेशन विभाग द्वारा पौधारोपण किया हुआ है व वर्तमान में टाली व सफेदे के पेड़ बीस वर्ष पुराने खड़े है जिसकी कीमत लाखों रूपयों है आवंटन उक्त तथ्य को अनदेखा करके आवंटन किया गया है उक्त भूमि अनाधिवासित भूमि की श्रेणी में नही है व आवंटन हेतु उपलब्ध नही थी परन्तु अप्रार्थी सं. 1 ने आवंटन अधिकारी के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत करके आवंटन करवाया है इसलिए आवंटन आदेश काबिल खारिजी के है।

5. यह कि अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में आवंटन आदेश दिनांक 16.12.2004 को किया गया था व राजस्व रिकार्ड में आवंटन आदेश का अंकन भी किया जा चुका है परन्तु आवंटन शुद्धा भूमि का कब्जा अप्रार्थी को नही दिया गया है व मौका पर भूमि अब भी खाली पडी है। अप्रार्थी उक्त आवंटन आदेश की आड में भूमि पर कब्जा करके पेड काटने की फिराक में है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी सं. 1 को किया गया आवंटन दिनांक 16.12.2004 खारिज फरमावें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रिकार्ड व अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि–

1. प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 जिस तरह प्रार्थी बयान करता है। बेवजह ब्यानी स्वीकार है तथा प्रश्नगत भूमि बाबत कार्यालय तहसीलदार (राजस्व) भादरा द्वारा भूमि आवंटन पट्टा राजस्थान उपनिवेशन अस्थाई कृषि पट्टा शर्ते 1955 के अन्तर्गत दिनांक 06.11.1989 को जारी किया हुआ है तथा उक्त भूमि लगातार अप्रार्थी के कब्जा काश्त में चली आ रहीं है। दिनांक 11.12.2004 को उक्त वादग्रस्त भूमि स्थाई आवंटन किमतन कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा द्वारा प्रशासन आपके द्वारा अभियान 2004 में स्थाई आवंटन हो चुकी है तथा अप्रार्थी खातेदार काश्तकार हो चुका है।
2. मद संख्या 2 ब्यानी स्वीकार नहीं है तथा आवंटन अधिकारी द्वारा विधि सम्मत तरीकें से स्थाई आवंटन की गई है तथा आवंटन आदेश प्रार्थी किसी प्रकार खारिज करवाने का अधिकारी नहीं है।
3. मद संख्या 3 ब्यानी स्वीकार नहीं है। प्रार्थी के प्रश्नगत भूमि सन् 1989 से अस्थाई आवंटन कार्यालय तहसीलदार द्वारा की गई है। दिनांक 16.12.2004 का आवंटन अधिकारी द्वारा नियमानुसार स्थाई आवंटन कीमतन की गई है तथा प्रार्थी आवंटन आदेश खारिज करवाने का किसी प्रकार का मजाज कानूनी नहीं है।
4. मद सख्या 4 स्वीकार नहीं है। प्रश्नगत भूमि 1989 से कब्जा काश्त में चली आ रहीं है तथा दिनांक 16.12.2004 से स्थाई आवंटन हो चुकी है तथा आवंटन की शरायतों का पालन करते हुए नियमानुसार खातेदार काश्तकार हो चुका है तथा प्रार्थी का कोई हित नहीं है, केवल रंजीशवश शिकायत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो काबिल खारिजी है।
5. मद संख्या 5 स्वीकार नहीं है।

अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र में अतिरिक्त कथन पेश कर निवेदन किया कि– प्रश्नगत भूमि तहसीलदार कार्यालय (राजस्व) भादरा द्वारा भूमि आवंटन पट्टा राजस्थान उपनिवेशन अस्थाई कृषि पट्टा शर्ते 1955 के अन्तर्गत दिनांक 06.11.1989 को जारी किया हुआ है तथा उक्त भूमि लगाातार अप्रार्थी के कब्जा काश्त में चली

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आ रही है तथा दिनांक 16.12.2004 को उक्त वादग्रस्त भूमि स्थाई आवंटन कीमतन उपखण्ड अधिकारी भादरा द्वारा प्रशासन आपके द्वार अभियान सन् 2004 में स्थाई आवंटन हो चुकी है तथा अप्रार्थी आवंटन 3 साल पश्चात स्वतः खातेदार काश्तकार हो चुका है। कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भादरा द्वारा राजस्व अभियान 2008 को दिनांक 17.01.2008 को अप्रार्थी उतरदाता के नाम सनद जारी हो चुकी है तथा अप्रार्थी उतरदाता नियमानुसार खातेदार काश्तकार हो चुका है तथा आवंटन 20 वर्ष पश्चात प्रार्थना पत्र पेश किया है। नियमासान आवंटन आदेश को किसी प्रकार निरस्त नहीं किया जा सकता है।

लिहाजा यह जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी उतरदाता प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार के द्वारा पत्र क्रमांक 426 दिनांक 07.09.09 के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त कर बहस अधीवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुये निवेदन किया कि दिनांक 16.12.2004 को उपखण्ड अधिकारी भादरा द्वारा जो आवंटन किया गयाा है वह तथ्यों को छुपाकर किया गया है। सिलिंग सीमा से ज्यादा भूमि है। अप्रार्थी बाहर का रहने वाला है। आवंटन शुद्धा जमीन आज मौके पर मकान बने हुए है व सिचांई विभाग की कॉलोनी बनी हुई है। बड़े–बड़े पेड़ लगे हुए है।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया की दिनांक 06.11.1989 को तहसीलदार कार्यालय द्वारा मुझे अस्थाई आवंटन पट्टा जारी हुआ तभी से काबिज हूं। दिनांक 11.12.2004 को प्रशासन गांव के संग अभियान में मुझे यह पुख्ता आवंटन किया गया। हमें पूर्ण जांच के बाद ही आवंटन किया गया है। यह 2004 का आवंटन हुआ है और मैं भोजासर का रहने वाला हूं। दिनांक 17.01.2008 की मुझे सनद जारी हो गई। मैं आवंटन शर्तो की पालना करते हुए खातेदार हो गया। खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुका है, अब ये समाप्त नहीं हो सकते। शिकायतकर्ता को कोई अधिकार नहीं है ना ही कोई हित है रंजिश के कारण शिकायत पेश की गई है जो निरस्त योग्य है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत कर अप्रार्थी सं0 1 को आवंटित उक्त भूमि का आवंटन आदेश दिनांक 16.12.2004 को खारिज करने की प्रार्थना की है किन्तु इसके साथ ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जबकि उपखण्ड अधिकारी भादरा की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि बाद जांच आवंटन किया गया है। पत्रावली में शामिल सहायक प्रभारी अधिकारी भादरा कैम्प भोजासर के पत्रांक 151 दिनांक 15.12.2004 द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में तहसीलदार भादरा द्वारा स्पष्ट अंकन किया गया है कि "इस रकबे को शामिल करतें हुए प्रार्थी का रकबा सीलिंग सीमा से कम रहता है। प्रार्थी राजकीय सेवा में नही है कब्जा टी.सी. धारक का ही है एवं उक्त रकबा प्रार्थी को टी.सी. से पुख्ता आवंटन करने की अभिशंषा की जाती है"।

इससे स्पष्ट है कि तहसीलदार की जांच रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी को पुख्ता आवंटन किया गया है। प्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना या तथ्यो को छुपाने के सम्बन्ध में केवल कथन किया गया है कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार भादरा को यह निर्देश दिया जाता है कि उक्त आवंटन के सम्बन्ध में उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 11/14 के अन्तर्गत पुन जांच करें एवं तथ्यों को छुपाने या आवंटन शर्तो की पालना नही करने के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2020 को टंकित करवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। शामिल पत्रावली रहें एवं निर्णय की एक प्रति तहसीलदार भादरा को प्रेषित की जावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

30/1/2020

(नारायण सिंह चारण)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)